

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक :- 517

दिनांक:- 29/01/25

कार्यालय आदेश

मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्यालय पर स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग के न्यायालयों के प्रकरणों में अभिरक्षारत बंदियों की जिला कारागृह, अलवर से न्यायिक अभिरक्षा अवधि जरिये विडियो कांफ्रेसिंग बढ़ाये जाने हेतु निम्न पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी (राजकीय अवकाश छोड़कर) लगायी जाती है :-

क्र० सं०	पीठासीन अधिकारी का नाम	दिनांक / माह
01.	Ms. Ritika Agarwal, अति. सि०न्या० एवं न्या.मजि० संख्या -3, अलवर	01.02.2025 से 10.02.2025
02	Ms. Tanvi Mathur सि.न्या. एवं न्या.मजि. संख्या-1, अलवर	11.02.2025 से 20.02.2025
03	Ms. Sonal Mishra अति. सि०न्या० एवं न्या.मजि० संख्या -2, अलवर	21.02.2025 से 28.02.2025

नोट:-

- 1- उक्त ड्यूटी दिनांक को अधिकारीगण के अवकाश पर होने के दौरान उनके लिंक अधिकारी द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया जावेगा तथा उक्त कार्य सांय 4.30 से 5.00 पी०एम० के मध्य एवं मोर्निंग समय में 12.30 पी०एम० से 1.00 पी०एम० के मध्य विडियो कॉन्फेन्स हॉल में सम्पादित किया जावेगा।
- 2- जिन प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है उन प्रकरणों में न्यायिक अभिरक्षा की समय अवधि उसी न्यायालय के द्वारा बढ़ाई जावेगी।
- 3- अलवर मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संवर्ग के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण स्वयं अपने स्तर पर रिमाण्ड पेपर्स निर्धारित समय से पूर्व ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट (अधिकारी) के समक्ष वी०सी० रूम में प्रेषित करने की सुनिश्चितता करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर
अलवर (राज०)

क्रमांक:- 518-21

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. अलवर मुख्यालय पर स्थित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्तर के समस्त पीठासीन अधिकारीगण।
3. अधीक्षक, जिला कारागृह अलवर।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय अलवर को जिला न्यायालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर
अलवर (राज०)